

## FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

जगसीरो

बनाम

जंगीर सिंह वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट  
व 2019/00033

मु.नं. एवं सन 15/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13.01.20	<p>पत्रावली पे 1 हुई। चूकिं प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी को एक्स पार्टी आदे 1 हो चुके है। प्रार्थीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की विरासतन भूमि है एवं मुताबिक घरेलु बंटवारे अनुसार काबिजका त है और दौराने वाद अप्रार्थीगण के कब्जाका त में दखल अंदाजी न करें ऐसी इस्तदुबा प्रार्थीगण ने की है। प्रार्थना पत्र के कथनों एवं रिकार्ड अवलोकन से यह साबित है कि प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थीगण बावजूद तामिल किसी प्रकार का उर्ज व एतराज पे 1 नहीं किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निशेधाज्ञा दिनांक 06.02.2019 को स्थाई की जाती है। दौराने वाद निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाकर पत्रावली फै 1ल सुमार होकर संलग्न मूल दावा रहे।</p>	